न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 71/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पुसाराम पुत्र छोगाराम		1. केसाराम पुत्र छोगाराम
2. जयराम पुत्र छोगाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण सिणला तहसील जैतारण		2. बाबुलाल पुत्र केसाराम
		3. रखाराम पुत्र केसाराम
		4. छोटुराम पुत्र केसाराम
		5. राजुराम पुत्र केसाराम
		6. भागीरथ पुत्र केसाराम
		7. उम्मेदराम पुत्र केसाराम जातिगण मेघाल निवासीगण सिणला
		8. सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण
		9. उप पंजीयक जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री खूमाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 13.9.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 151/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 व 12.03.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिणला के खसरा नम्बर 455, 457/1 व 740/2 की भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि थी, जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जा चुका था, इस कारण उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा था। इसके बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम व्यादेश पारित किया तथा उसके पश्चात अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट जैर अपील वादस्थ भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का जैर अपील वादस्थ भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्तों के विपरित जाते हुए रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें रेस्पोडेन्ट्स का उक्त भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तरिम व्यादेश पारित किया तथा अपीलाण्ट्स को भी सम्मन जारी किए। अपीलाण्ट्स बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अन्तरिम व्यादेश को मूल वाद के निस्तारण तक पुख्ता किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए उक्त आराजी में से अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने एवं विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण किया जा रहा था, जिसे रूकवाने हेतु अस्थाई व्यादेश का भी अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनज़र रखते हुए दिनांक 20.08.2014 को अन्तरिम व्यादेश जारी किया गया, जिसे बाद में दिनांक 12.03.2016 को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया गया। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी छोगा पुत्र गीगा के फौत होने पर अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। अब उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं ? यह मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चिय होने पर ही संभव होगा, किन्तु इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि खातेदारान्/पक्षकारान द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्ठि का लाभ प्राप्त करते हुए भूमि का विक्रय किया जा रहा था, जिससे होने वाली वाद बाहुल्यता को रोकने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अन्तरिम व्यादेश दिनांक 20.08.2014 को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 151/2014 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 व 12.03.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-9-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली